रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14022022-233404
CG-DL-E-14022022-233404

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 88] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 14, 2022/माघ 25, 1943
No. 88] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 14, 2022/MAGHA 25, 1943

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 2022

फा. सं. 1605/एफ़एसएसएआई/आयात/2016(पार्ट-2).—खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का संख्यांक 34) की धारा 92 की उपधारा (1) की अपेक्षा के अनुसार भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की अधिसूचना फाइल सं0 1605/एफ़एसएसएआई/आयात/2016(पार्ट-2), तारीख 4 मार्च, 2021 द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक (आयात) संशोधन विनियम, 2021 का प्रारूप भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में प्रकाशित किया गया था जिसमे उन सभी व्यक्तियों से जिनके इससे प्रभावित होने की सम्भावना है, उक्त अधिसूचना अंतर्विष्ट राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराये जाने की तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किये गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियाँ जनता को 9 मार्च, 2021 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त विनियमों के प्रारूप पर जनता से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विचार कर लिया गया है;

अत: अब, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का संख्यांक 34) की धारा 92 की उप-धारा (2) के खंड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण खाद्य सुरक्षा और मानक (आयात) विनियम, 2017 में और संसोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन विनियमों का नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (आयात) पहला संशोधन विनियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवत्त होंगे; और खाद्य कारोबार चालक को इन विनियमों के सभी उपबंधों का 1 सितम्बर 2022 से अनुपालन करना होगा।

2. खाद्य सुरक्षा और मानक (आयात) विनियम, 2017 में, विनियम 7 के उप-विनियम (3) के खंड (ख) में ,-

(i) " खाद्य सामग्री या संघटक या सहयोज्य" शब्दों से शुरू होने वाले और " दो संस्थाओं के बीच ऐसा करार हो चुका हो" शब्दों के साथ समाप्त होने वाले भाग के लिए, निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात् , -

"खाद्य सामग्री या संघटक या सहयोज्य जिन को कि निर्माताओं या प्रसंस्कृतकर्ताओं के द्वारा अपने खपत उपयोग हेतु या मूल्य वर्धित उत्पादों के उत्पादन को सौ फीसदी निर्यात के लिए आयातित किया जा रहा है; या खाद्य वस्तुओं या सामग्री या संघटक उनकी सहायक कम्पनियों के द्वारा आयात किया जा रहा है या पूरी तरह सहायक कम्पनियों के द्वारा पूरी तरह निर्यात के लिये उपयोग किया जा रहा है दो इकाईयो के बीच ऐसा करार हो और निर्यातक देश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्वच्छता/स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के साथ हो";

(ii) स्पष्टीकरण 1 में, "उप-विनियम 3" शब्द और अंक के स्थान पर, "उप-विनियम (3)" शब्द, कोष्ठक और अंक को रखा जाएगा;

(ii) स्पष्टीकरण 2 में, "उप-विनियम 3" शब्द और अंक के स्थान पर, "उप-विनियम (3)" शब्द, कोष्ठक और अंक को रखा जाएगा ।

अरुण सिंघल, मुख्य कार्यकरी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./640/2021-22]

टिप्पण : मूल विनियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खण्ड 4 में अधिसूचना संख्या फा. सं. 01/2008/आयात संरक्षा/एफ़एसएसएआई, तारीख 9 मार्च, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और निम्नलिखित अधिसूचना संख्या द्वारा संशोधित किए गए थे:

(i) फा. सं. रेग/11/25/आयात संशोधन/ एफ़एसएसएआई-2017, तारीख 7 फरबरी, 2018;

(ii) फा. सं. 1-1275/एफ़एसएसएआई/आयात/2015, तारीख 20 अक्तूबर, 2020 और

(iii) फा. सं. 04067/एमओसी-ट्रेड/आरईजी-एफ.एस.एस.ए.आई/2017(पार्ट-1), 3 नवम्बर, 2021।

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th February, 2022

F. No. 1605/FSSAI/Import/2016(pt-2).—Whereas the draft of the Food Safety and Standards (Import) Amendment Regulations, 2021, were published vide notification of the Food Safety and Standards Authority of India number F. No. 1605/FSSAI/Import/2016(pt-2), dated the 4th March, 2021, in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 as required under sub- section (1) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), inviting objections and suggestions from persons likely to be affected thereby, within a period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, the copies of the said Gazette were made available to the public on the 9th March, 2021;

And whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft regulations have been considered by the Food Safety and Standards Authority of India;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (e) of sub- section (2) of section 92 of Food Safety and Standards Act, 2006(34 of 2006) the Food Safety and Standards Authority of India, with the previous approval of the Central Government hereby makes the following regulations, further to amend the Food Safety and Standards (Import) Regulations, 2017, namely: -

1. (1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Import) First Amendment Regulations, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette and Food Business Operator shall comply with all the provisions of these regulations with effect from 1st September, 2022.

2. In the Food Safety and Standards (Import) Regulations, 2017,in regulation 7, in sub-regulation (3), in clause (b),-

(i) for the portion beginning with the words " the article of food or food ingredients" and ending with the words " between the two entities in this behalf", the following shall be substituted, namely: -

"the articles of food or ingredients or additive imported by the manufacturers or processors for their captive use or production of value added products for hundred per cent exports; or the consignments of articles of food or ingredients or additives imported by the firms or companies for use of their sister concerns or wholly owned subsidiary companies, to be used for hundred per cent export production subject to a defined relationship agreement between the two entities in this behalf and accompanied with Sanitary/Health Certificate issued by the Competent Authority of an exporting country";

(ii) In Explanation 1, for the word and figure "sub-regulation 3", the word, brackets and figure " Sub-regulation(3)" shall be substituted;

(iii) In Explanation 2, for the word and figure "sub-regulation 3", the word, brackets and figure " Sub-regulation(3)" shall be substituted;

ARUN SINGHAL, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./640/2021-22]

Note : The principal regulation were published in the Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, *vide* notification number F. No. 1/2008/Import safety/FSSAI, dated 9th March, 2017 and amended vide the following notification numbers-

(i) F. No. REG/11/25/Import amendment/FSSAI-2017, dated 7th February, 2018;

(ii) F. No. 1-1275/FSSAI/Import/2015, dated the 20th October, 2020; and

(iii) F. No. 4067/MOC-Trade/Reg-FSSAI/2017(part-1), dated the 3rd November, 2021.

UNCOMPLIGATE Simplifying Compliance

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.